

प्र.सं. 01
दिनांक: 22/12/2013
एजिसट्स पोस्ट द्वारा (पार्षदी के साथ)

परा आपत्कार: 01

शेरा सं,

मुख्य जन सूचना अधिकारी,
रेलवे-बॉर्ड, कक्षा सं. - 05,
आर.टी.ओ. कक्षा, रेलभवन,
राजीव गांधी, नई दिल्ली - 110001

39914 3/11

9423

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
आपत्कार।

अनुरोध है कि, कृपया अधिनियम के
अनुसार विमलनिधि अर्थात् यथा गैर न्याय एवं अपराध
करण का मूल्यांकन करें।

1) पत्राचार में मौजूदा धारा के तहत अधिनियम 2005
के तहत में प्रतिकारण राजीव गांधी आंदोलन की प्रति अपराध
करावें।

2) निजी पत्रिका के स्वामित्व वाले रजिस्टर्ड प्रेस टिकटों
में सूक्ष्म-टिकट की जारी अंतर्गत के नियम संशोधन की
आवृत्ति की जाती है (यदि विशेष अपराध निराकरण है, या
न है) बॉर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रति अपराध करावें।

3) नागिक अक्टूबर सं. 32, 2010 के अनुसार (अपील)
पीसीओ वर्ग पर रिटार्डेशन का विचार प्रस्ताव है
निर्देशित है या अभियोग, 20/06/11 के परन्तु जब
अपील में जारी किया जाये आदेश की प्रति अपराध करावें
रवें सभी संशोधन रेल द्वारा प्रतिकारण की प्रति
अपराध करावें।

4) आदेश रजि.नं.आर. का प्रतिलिपि अपराध
करावें।

अधीन सूचना क्र 10/- का आदेश आ. संख्या

क्र. 2/02

पुं० सं० ०२

191-440754 का अनुमान "केरला अटि-गरी, रतव बरि,
मडि विन्नी" के वर-भं का विधा डी जी आरकनरक एरु
एरुन-न डी।

अनवरु ।



अरुनः अरुनरु

अरुनः (अरु.क. अरुनरु)

अरुनः अरु.क. 286/1
RWH कोरुनी पीडी
15R3 अरुनरु अरुनः
492008